

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General Information relating to Legislative and other matters)
Friday, February 12, 1999/Magha 23, 1920 (SAKA)

NO. 12

Election of three representatives of Delhi Assembly to DDA.

Hon'ble Members are informed that as per Section 3(3)(f) of the Delhi Development Act, 1957, three members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi are required to be elected for representation in DDA by means of a single transferable vote by the Members of the Legislative Assembly from amongst themselves, of which two shall be from the Ruling party and one from the party in the opposition of the Government.

For this purpose, the following schedule has been fixed for receiving the nominations, withdrawal of candidature and for holding elections, if necessary:-

Last date for filing nominations	Last date for withdrawal	Date of election, if necessary.
22.2.99 from 11.00 AM to 3.00 PM	24.2.99 upto 3.00 PM	26.2.99 from 11.00 AM to 3.00 PM in committee Room-II, Old Sectt., Delhi.

P.N. GUPTA
SECRETARY.

NOTE:

1. Necessary forms are available with the Notice Office of the Assembly Secretariat.
2. No nomination form will be entertained after the stipulated date and time.

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

॥ विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥

शक्रवार, 12 फरवरी, 1999/माघ/23, 1920 ॥शक॥

संख्या-12

दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए दिल्ली विधान सभा
के तीन प्रतिनिधियों का निर्वाचन ।

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 3(3)(एफ) के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व हेतु विधान सभा के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा स्वयं अपने में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन अपेक्षित है जिनमें से दो सदस्य सत्तारूढ़ दल और एक सदस्य विपक्ष का होगा ।

इस प्रयोजन हेतु नामांकन प्राप्त करने, उम्मीदवारी की वापसी और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-

नामांकन भरने की अंतिम तिथि	नाम वापस लेने की अंतिम तिथि	चुनाव की तिथि ॥ यदि आवश्यक हो ॥
22.2.99. 11.00 बजे पूर्वाह्न से से 3.00 बजे अपराह्न तक	24.2.99 3.00 बजे अपराह्न तक	26.2.99 11.00 बजे पूर्वाह्न से अप. 3.00 बजे तक सीमांत का 2 पुराना सचिवालय दिल्ली में।

पी.एन. गुप्ता
सचिव

टिप्पणी:

1. आवश्यक प्रपत्र विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय में उपलब्ध हैं ।
2. निर्धारित तिथि और समय के बाद कोई भी नामांकन प्रपत्र स्वीकृत नहीं किये जायेंगे ।